सुधार के लिए मूल्यांकन

शाला सिद्धि
SHAALA SIDDHI

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम

कार्यक्रम अभिलेख

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय
सर्व शिक्षा अभियान
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड

आभार

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (एन.पी.एस.एस.ई.) की रूपरेखा का विकास सामूहिक प्रयास एवं विस्तृत परामर्श के आधार पर किया गया है।

'विद्यालय उन्नयन हेतु मूल्यांकन' के लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्रीय तकनीकी समूह (एन.टी.जी.) के सदस्यों, विशेषज्ञों, जिला तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, विद्यालय प्रमुखों, अध्यापकों, शिक्षक संघ, गैर सरकारी संगठनों, न्यूपा एवं एनसीईआरटी के संकाय सदस्यों का विशिष्ट योगदान एवं समर्थन प्राप्त हुआ। इन सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने ज्ञान एवं अनुभव को हमारे साथ साझा किया और हमारे प्रयासों को बल प्रदान किया।

हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विशेष रूप से आभारी हैं कि मंत्रालय ने देश के सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय के सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य निर्धारित किया एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्कूल मानक एवं मूल्यांकन को एक अनिवार्य पूर्व–आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया।

प्रो. आर. गोविंदा, उपकुलपति, न्यूपा के सतत् एवं स्थायी सहयोग एवं निर्देशन के बिना इस सार्थक पहल को पूर्ण करना असंभव था। विद्यालय उन्नयन में विद्यालय मूल्यांकन की उपयोगिता के बारे में उनकी आस्था और विश्वास के फलस्वरूप न्यूपा में स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई की स्थापना हुई। उन्होंने एक योग्य एवं कुशाग्र अग्रणी के रूप में कार्यक्रम की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में मार्गदर्शन प्रदान किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संरक्षक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में हम इनके बहुत आभारी हैं।

अंत में, इस कार्यक्रम के विभिन्न प्रकाशनों के संपादन एवं प्रकाशन कार्य के लिए, हम प्रकाशन विभाग के विशेष रूप से आभारी हैं।

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई

दो शब्द

विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा **''शाला सिद्धि''** नाम से **राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (National Programme on Schools Standard and Evaluation)** तैयार किया गया है।

''शाला सिद्धि'' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय का एक संस्था के रूप में मूल्यांकन करना और जवाबदेही के साथ स्व–उन्नयन की संस्कृति का निर्माण करना है। राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम 'विद्यालय मूल्यांकन' को एक साधन और विद्यालय सुधार को एक साध्य के रूप में देखता है। इसकी परिकल्पना एक ऐसे सकारात्मक कदम के रूप में की गई है जिसके द्वारा विद्यालयों को स्वयं सुधार हेतु प्रयास करने के लिए सक्षम बनाना अपेक्षित है।

उत्तराखण्ड राज्य में शाला सिद्धि कार्यक्रम वर्ष 2016–17 से राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति एवं कोर ग्रुप का गठन किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य स्तरीय कोर ग्रुप को मार्गदर्शन दिया गया है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय, जनपद स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों एवं कार्मिकों को शाला सिद्धि कार्यक्रम में प्रशिक्षित हो अपना क्षमता संवर्धन (Capacity Building) करना होगा। साथ ही ब्लॉक स्तर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को, जो इस कार्यक्रम की मुख्य धुरी हैं को प्रशिक्षित कर कार्यक्रम को विद्यालयों में क्रियान्वयित किया जाना होगा।

मेरा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों से अनुरोध है कि वे ''शाला सिद्धि'' कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूप रेखा, स्कूल मानक डैशबोर्ड का भली–भाँति अध्ययन कर लें, ताकि कार्यक्रम–क्रियान्वयन में आसानी रहे। यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कोर टीम के सदस्यों से सम्पर्क किया जा सकता है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि शाला सिद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के स्वयं एवं वाह्य मूल्यांकन से सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे तथा विद्यालय स्वयं सुधार एवं नवाचार के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही इससे प्रशासनिक, राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालयों की पृथक–पृथक जरूरतों, आवश्यकताओं एवं अच्छे कार्यों की पहचान हो सकेगी तथा उसके अनुसार समस्याओं के निराकरण तथा अच्छे कार्यों के प्रोत्साहन हेतु कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी।

रंजना (आई.ए.एस.)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय–सूची

आभार ii

1.0 संदर्भ 1
1.1 स्कूल सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन
1.2 स्कूल मूल्यांकन : वर्तमान स्थिति

2.0 स्कूलमानक एवं मूल्यांकन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 4
2.1 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य
2.2 मुख्य बदलाव

3.0 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा (एस.एस.ई.एफ.) 8
3.1 एस.एस.ई.एफ. का विकास : मार्गदर्शक सिद्धान्त
3.2 एस.एस.ई.एफ. विकास की प्रक्रिया
3.3 एस.एस.ई.एफ. की संरचना
3.4 स्कूल मूल्यांकन एवं सुधार प्रक्रिया
3.5 स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड के बारे में
3.6 राज्य विशिष्टता के अनुरूप अनूकूलन एवं सन्दर्भीकरण
3.7 वेब पोर्टल

4.0 स्कूल मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण 15
4.1 स्कूल मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश

5.0 मूल्यांकन के बाद : स्कूल सुधार के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना 17

6.0 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम : कार्य योजना 18
6.1 क्रियात्मक संरचना

7.0 एन.पी.एस.एस.ई.: रोड मैप 21

"विद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हम सिफारिश करते हैं
कि विद्यालयी सुधार हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाये
जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए ऐसी परिस्थितियां
उत्पन्न की जाऐं कि वह अपनी क्षमता के अनुरूप
अच्छे परिणामों को प्राप्ति हेतु
निरन्तर प्रयासरत रहे।"

शिक्षा आयोग 1964–66

1.0 संदर्भ

विद्यालयों में गुणवत्ता एवं सुधार के लिए सभी नीतिपरक प्रावधानों में सर्व सहमति रही है। भारत में स्कूली शिक्षा तीव्र प्रसार एवं विद्यार्थियों की बढ़ती हुई विभिन्नता की साक्षी रही है। भारत में सभी बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विभिन्नता के संदर्भ में जटिलता (ग्रामीण, शहरी, जनजातीय), विद्यालयों का परिस्थिति जन्य संयोजन प्रमुख चुनौतियां हैं। अधिकार आधारित उपागम के रूप में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) लागू करके विद्यालयों की जवाबदेही पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में विद्यालयी प्रबंधन एवं जवाबदेही के विकेंद्रीकरण को विद्यालय निष्पादन में सुधार के साधन के रूप में नीतिपरक दस्तावेजों में स्वीकार किया गया है। स्कूल शिक्षा में भागीदारी एवं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के लक्ष्य की प्राप्ति को एक दूसरे का पूरक मानने पर बल दिया गया है। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शैक्षिक प्रभावोत्पादकता एवं सुधार आवश्यक है। इस परिवर्तनशील शैक्षिक संदर्भ में विद्यालयों की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा में वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के भारी विनियोग को ध्यान में रखते हुए अब यह व्यापक रूप से महसूस किया जा रहा है कि विद्यालयों को श्रेष्ठतम स्तर पर निष्पादन करना चाहिए। अतः स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों में निष्पादन एवं सुधार की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस प्रकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को स्कूल सुधार के प्रयासों का केन्द्र माना जा रहा है

1.1 स्कूल सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन

प्रत्येक स्कूल अपने संदर्भ, आकार परिस्थितियों तथा प्रावधनों के आधार पर विशिष्ट होता है। विद्यालय वास्तव में अधिगम का संस्थान एवं स्थान हैं, अतः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम को उसके मूल भाव में लागू करने का उत्तरदायित्व विद्यालय का ही होता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वमान्य है कि विद्यार्थियों के विकास, उनकी अधिगम प्रक्रिया तथा समूचे जीवन पर विद्यालयों का विशेष प्रभाव होता है। विद्यार्थियों की निष्पत्ति को बढ़ाने तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में केन्द्रीय माध्यम के रूप में विद्यालयों की स्वीकारोक्ति बढ़ रही है। स्व परिवर्तन एवं सतत सुधार की जिम्मेदारी धीरे–धीरे विद्यालयों पर स्थानान्तरित हो रही है। अन्य शब्दों में विद्यालय को अपने सुधार में किसी बाह्य सहायक व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय, आत्म निर्भर संगठन के रूप में देखा जाने लगा है।

स्कूल मूल्यांकन का अभिप्राय स्कूल के प्रदर्शन का समग्र रूप से मूल्यांकन करना है। विद्यालय को महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन क्षेत्रों में उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु विद्यालय मूल्यांकन का महत्व बढ़ रहा है। यह विद्यालय को अपनी क्षमताओं, सुधार के अवसरों को समझने, योजनायें बनाने, निर्णय लेने, संसाधनों के उपयोग तथा इनमें सुधार हेतु प्रमाण आधारित कार्य योजना विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। स्कूल मूल्यांकन के उद्देश्यों को स्कूल सुधार के व्यापक लक्ष्य की भूमिका तथा योगदान के सन्दर्भ में समझने की आवश्यकता है। इसे किसी विद्यालय की कमजोरियां, प्रदर्शन की कमियों को पहचान करके उन्हें दूर करने के लिए सुझावों के अनुपालन की प्रक्रिया के रूप में ही नहीं लिया जाना चाहिए। वर्तमान में स्कूल के पास अपने निष्पादन की पूर्व नियोजित समीक्षा एवं मूल्यांकन करने का कोई संरचनात्मक तन्त्र नहीं है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक विद्यालय को शिक्षा व्यवस्था की एक इकाई के रूप में महत्व दिया जाय तथा इसके निष्पादन में क्रमशः सुधार सतत मूल्यांकन के द्वारा किया जाय। विद्यालय मूल्यांकन विद्यालय को समग्र परिवर्तन तथा सतत रूपान्तरण के लिये सक्षम बनाता है।

1.2 स्कूल मूल्यांकनः वर्तमान स्थिति

ऐतिहासिक रूप से शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को ही विद्यालय मूल्यांकन के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, जिसके परिणाम को प्रायः निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः विद्यालय निरीक्षण मूल्यांकन के स्पष्ट मानदण्डों एवं लिखित निरीक्षण दिशा निर्देशों के बिना ही किया

जाता है। हाल के कुछ वर्षों में कुछ राज्यों द्वारा प्रचलित मूल्यांकन प्रक्रिया के स्थान पर विद्यालय मूल्यांकन कार्यक्रम का प्रारूप विकसित एवं लागू करने का प्रयास किया गया है। कुछ राज्यों में जैसे गुजरात कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि ने विद्यालय आकलन तथा प्रत्यापन के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास किए गये हैं जिसके लिए आकलन तथा मानिटरिंग उपकरणों का विकास किया गया है। प्रत्येक राज्य ने विद्यालय गुणवत्ता के अपने सूचक एवं प्रक्रियायें विकसित की है। प्रकृति में भिन्नता होते हुए भी ये प्रयास इस तथ्य के सूचक हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार के लिए विद्यालय निष्पादन के आकलन की स्वीकारोक्ति बढ़ी है। यह पहल इस मान्यता पर आधारित है कि व्यवस्थित स्कूल मूल्यांकन स्कूल की समग्र गुणवत्ता एवं शिक्षण एवं विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में सुधार की ओर ले जाता है।

नई पहल – मुख्य बातें

- जिन राज्यों में विद्यालय आकलन एवं मानटरिंग को शुरु किया गया है, वहां यह आम सहमति उभरी है कि यह विद्यालय गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक प्रयास है।
- राज्यों ने विद्यालय आकलन एंव मानटरिंग के संबंध में विद्यालय निष्पादन के सूचकों एवं मानदंडों को परिभाषित किया है।
- विद्यालय मूल्यांकन एवं मानटरिंग कार्य अधिकतर बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा स्व–मूल्यांकन पर सीमित बल देते हुए किया गया है।
- मूल्यांकन प्रक्रिया तथ्यों को निर्धारित जांच सूची में प्रस्तुत करने पर आधारित है जो केवल मात्रात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।
- राज्य विद्यालय आकलन आकड़ों तथा सूचनाओं का उपयोग ग्रेडिंग करने तथा विद्यालयों की परस्पर तुलना करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में विद्यालय सुधार की सीमित सम्भावना है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल सामान्यीकृत मूल्यांकन से सूचना एवं आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

दृष्टिकोण

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम की परिकल्पना एक ऐसे सकारात्मक कदम के रूप में की गई है जिसके द्वारा विद्यालयों को स्वयं सुधार हेतु निरन्तर प्रयास करने के लिये सक्षम बनाना अपेक्षित है।

2.0 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने की पहल है। यह देश के 16.2 लाख स्कूलों में सतत् सुधार लाने का प्रयास है। यह विभिन्न हितधारकों में विद्यालय मूल्यांकन क्या, क्यों व कैसे के बारे में समान दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास करता है।

एनपीएसएसई विद्यालय मूल्यांकन की परिकल्पना माध्यम के रूप में तथा विद्यालय सुधार को लक्ष्य के रूप में करता है। यह स्कूल मूल्यांकन को सतत् एवं चक्रीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हुए स्कूल विकास योजना के निर्माण एवं परिवर्तन हेतु प्राथमिकताएं तय करने की आवश्यकता पर बल देता है।

एनपीएसएसई गुजरात के गुणोत्सव, उड़ीसा के समीक्षा, कर्नाटक स्कूल की गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यापन की रूपरेखा आदि वर्तमान स्कूल मूल्यांकन के प्रयासों पर आधारित है। यह राष्ट्रीय एवं अर्न्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल मूल्यांकन से संबंधित प्रचलित विधियों, अनुसंधानों एवं साक्ष्यों पर भी आधारित है।

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांत

- यह संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम'2009, एवं राष्ट्रीय योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर आधारित है।
- यह विद्यार्थी को केन्द्र में रखते हुए विद्यालय को मूल्यांकन की इकाई के रूप में देखता है।
- विद्यालय मूल्यांकन को सतत् प्रक्रिया स्वीकार करते हुए यह विद्यालय में उत्तरोत्तर सुधार पर बल देता है।
- यह विद्यालय मूल्यांकन को विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों के सहयोगपूर्ण प्रयास के रूप में देखता है।
- यह प्रत्येक विद्यालय को अपने कार्यों को समझने के लिए सक्षम बनाता है जिससे वे सतत् स्व–सुधार की ओर अग्रसर हो सकें।

2.1 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

भारतीय विद्यालयों की विविधता के अनुरूप तकनीकी रूप से उपयुक्त अवधारणात्मक रूपरेखा, प्रविधि, मूल्यांकन उपकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना।

राज्यों में संस्थागत मशीनरी की स्थापना के लिए मानव संसाधनों का विकास करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल मूल्यांकन रूपरेखा में बदलाव किया जा सके।

विद्यालय एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना ताकि वे स्कूल मूल्यांकन के माध्यम से विद्यालय सुधार के लिए सतत् प्रयासरत रहें।

विद्यालय प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव लाना, स्कूल मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण करना और उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन करना।

'स्कूल मूल्यांकन' के माध्यम से 'स्कूल सुधार'

- प्रत्येक विद्यालय अपने परिप्रेक्ष्य, आकार, परिस्थिति और संसाधनों के संदर्भ में विशिष्ट होता है।
- विद्यालय को राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पूर्णरूप से लागू करने का जनादेश प्राप्त है।
- स्कूल मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी विद्यालय विशेष के कार्यों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन।
- प्रत्येक विद्यालय अपनी वर्तमान गतिविधियों के आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर अपने सशक्त एवं कमज़ोर पहलुओं की पहचान करे और अपनी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास करे।
- विद्यालय मूल्यांकन में सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता एवं सहयोगात्मक प्रवृति का विकास होता है जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक निर्णय करना संभव हो पाता है।
- अनुभवों के सामूहिक आदान–प्रदान और चिन्तन के माध्यम से स्कूल मूल्यांकन शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया और अध्यापकों को समृद्ध करता है।
- स्कूल मूल्यांकन में अन्तर्निहित समीक्षा प्रविधि के प्रावधान से अधिक अच्छा नियोजन और उसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है।
- स्कूल मूल्यांकन विद्यालय विशेष को समग्रता में सशक्त करता है ताकि परिवर्तन को अपनाते हुए स्थायी बदलाव को सुनिश्चित किया जा सके।

लगातार सुधार के लिये प्रतिबद्धता के एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर होना

2.2 मुख्य बदलाव

स्कूल मूल्यांकन बच्चों, अध्यापकों एवं समुदाय के लिए स्कूल को बेहतर बनाने के लिए एक सुयोजित एवं स्थायी उपागम है। अतः स्कूल सुधार से अभिप्राय है कि स्कूल सतत् मूल्यांकन के द्वारा स्व सुधार हेतु क्या प्रयास करता है।

अनुपालन आधारित स्कूल मूल्यांकन	एनपीएसएसईः सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन
विद्यालय निष्पादन के आकलन के माध्यम से त्रुटियां निकालने का प्रयास	विद्यालय निष्पादन के लिये जिम्मेवार विभिन्न तत्वों की समझ का विकास
अनुपालन को सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान	विद्यालय के संदर्भ एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में समग्र दृष्टिकोण का विकास
मूल्यांकन योजना अनुपालन में केवल अंतर को दूर करने पर ध्यान देता है।	मूल्यांकन योजना रचनात्मक फीडबैक देने एवं कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुरूप क्रियान्वित करने पर बल देती है
सभी हितधारकों को प्रभावपूर्ण सुधार करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता	विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों के सहभाग से मूल्यांकन एवं सुधार योजना बनाने के लिए उपयुक्त संरचना को सही रूप से स्थापित करता है।
आवश्यकतानुसार तुलना एवं बाह्य ग्रेड के लिए बाह्य मूल्यांकन का प्रयोग करता है।	स्कूल के लगातार सुधार के लिए बाह्य मूल्यांकन के अतिरिक्त स्वः मूल्यांकन का नियमित रूप से उपयोग करता है।

3.0 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा (एस.एस.ई.एफ.)

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा को भारत में बालकों एवं विद्यालयों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय मूल्यांकन के व्यापक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक केंद्रित और योजनाबद्ध तरीके से निष्पादन के मूल्यांकन के लिए विद्यालय को सक्षम बनाना और उपयुक्त निर्णय लेने में उन्हें सहायता देना है। एस.एस.ई.एफ. ने सही अर्थों में विद्यालय मूल्यांकन को साधन के रूप में तथा विद्यालय सुधार को उद्देश्य के रूप में लागू किया है। एस.एस.ई.एफ. न केवल विद्यालय मूल्यांकन प्रक्रिया को सुगम बनाता है बल्कि परिवर्तन और सुधार के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय अपने निष्पादन के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन कर सकता है और सुधार के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना बना सकता है।

उद्देश्य

एस.एस.ई.एफ का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं, मूल मानकों और मुख्य आयामों को स्थापित करना है, जिन्हें सभी विद्यालयों को, विद्यालय मूल्यांकन के पूर्व परिभाषित मानदण्डों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यह प्रत्येक विद्यालय को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिसके फलस्वरूप वे उत्तरोत्तर विद्यालय मूल्यांकन की ओर बढ़ते हुए स्व और बाह्य मूल्यांकन की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा की मुख्य विशेषताएँ

- यह रूपरेखा स्व–मूल्यांकन एवं बाह्य–मूल्यांकन दोनों के लिए व्यापक साधन है।
- यह रूपरेखा विभिन्न प्रकार के स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को वे विद्यालयों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसमें उपयुक्त बदलाव करने की छूट प्रदान करती है।
- इसका उपयोग विद्यालय एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तर्कसंगत ढंग से आसानी से किया जा सकता है।
- यह रूपरेखा मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत और पारदर्शी बनाती है।
- यह रूपरेखा विद्यालय के मुख्य आयामों को चिह्नित करती है और प्रत्येक मुख्य आयाम के अंतर्गत मूल्यांकन एवं सुधार हेतु मूल मानकों का निर्धारण करती है।

3.1 एसएसईएफ का विकासः मार्गदर्शक सिद्धान्त

एस.एस.ई.एफ. का विकास क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। इसकी अवधारणात्मक रूपरेखा विद्यालय मूल्यांकन पर हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शोधों पर आधारित है। यह विद्यालयों और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, भाषायी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता को स्वीकार करती है। एस.एस.ई. एफ. संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, पाठ्यचर्या रूपरेखाओं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है। रूपरेखा को बनाते समय समावेशन और समता के सिद्धान्तों को मुख्य आधार माना गया है। एस.एस.ई.एफ. इस विचार पर बल देता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और विद्यालयों में सुधार हो सकता है।

3.2 एस.एस.ई.एफ. विकास की प्रक्रिया

एस.एस.ई.एफ. सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें राज्य स्तर की कार्यकारी संस्थाऐं, जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविद्, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक संघ, इत्यादि शामिल हैं। यह सभी हितधारकों की आपसी सहमति पर आधारित है कि उनके कार्यों में सुधार के लिए भारतीय विद्यालयों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाये।

निर्देश बिन्दु तथा मानक तैयार करने हेतु सर्व सम्मत मुख्य कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए कार्यशालाएं एवं परामर्शदायी सभाएं आयोजित की गई। एस.एस.ई. एफ. में सात मुख्य आयामों को विद्यालय के मुख्य कार्य क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में प्रत्येक मुख्य आयाम के मूल मानकों को परिभाषित किया गया है और मूल्यांकन एवं सुधार के लिए सन्दर्भ बिन्दुओं को रखा गया है। प्रत्येक मुख्य आयाम में, मूल मानक संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया गया है। मूल मानक विद्यालय मूल्यांकन के लिए एक समान समझ और मापनीय अपेक्षाओं का निर्माण करते हैं। प्रत्येक मुख्य आयाम में मूल मानक विद्यालयों के पूर्ण मूल्यांकन को बढ़ते क्रम में कार्य निष्पादन के अपेक्षित तीन स्तरों के बारे में बताते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में एस.एस.ई.एफ. का परीक्षण किया गया है।

3.3 एस.एस.ई.एफ. की संरचना

विद्यालय निष्पादन के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में, एस.एस.ई.एफ. के सात मुख्य आयाम हैं। प्रत्येक मुख्य आयाम से सम्बन्धित मूल मानकों का एक समूह है जो मुख्य आयाम के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताता है।

प्रत्येक मुख्य आयाम के मूल्यांकन के लिए क्रमिक चरण आवश्यक हैं ''विचारार्थ बिन्दु'' ''तथ्यात्मक जानकारी'' ''मूल मानक'' (विवरणात्मक विषय वस्तु सहित) सहायक साक्ष्य वे चरण हैं जो एक साथ मिलकर स्कूल के निष्पादन स्तर के उपयुक्त निर्णय में विद्यालयों को सहायता प्रदान करते हैं। प्रत्येक विद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वे ''विद्यालय मूल्यांकन डैशबोर्ड'' में एक समग्र मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करे। एस.एस.ई.एफ. में राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप संदर्भीकरण एवं अनुकूलन के लिए लचीलापन है।

मुख्य आयाम की संरचना के आधार पर प्रत्येक विद्यालय अपने निष्पादन का मूल्यांकन साक्ष्यों की मदद से व्यवस्थित ढंग से कर सकता है

मुख्य आयाम	मूल मानक
स्कूल संसाधनः उपलब्धता, पर्याप्ता और उपयोगिता	भौतिक संरचना की उपलबधता एवं गुणात्मकता, मानव संसाधन एवं शिक्षण–अधिगम संसाधन की उपलब्धता कितनी है? (12 मानक)
शिक्षण अधिगम एवं आकलन	शिक्षण अधिगम तथा आकलन कितना प्रभावी है? (9 मानक)
बच्चों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास	बच्चों की सीखने में प्रगति एवं उपलब्धि कितनी है और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास कैसा है? (5 मानक)
अध्यापकों के कार्य निष्पादन का प्रबंधन एवं व्यवसायिक विकास	अध्यापक कार्य निष्पादन का प्रबंधन और विकास कैसा होता है? (6 मानक)
विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन	स्कूल का नेतृत्व एवं प्रबंधन कैसा है? (4 मानक)
समावेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा	स्कूल कितना समावेशी एवं सुरक्षित हैं (5 मानक)
समुदाय की गुणात्मक सहभागिता	समुदाय एवं स्कूल का आपसी संबंध कितना गुणात्मक है? (5 मानक)

3.4 स्कूल मूल्यांकन एवं सुधार प्रक्रिया

मूल्यांकन की अवधारणा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि 'स्कूल मूल्यांकन माध्यम है और स्कूल सुधार उसका लक्ष्य' यह रूपरेखा इस विश्वास को रेखांकित करती है कि मूल्यांकन के परिणाम के फलस्वरूप विद्यालय अपने सशक्त पहलुओं और आवश्यक सुधार क्षेत्रों की पहचान कर पायेगा।

स्कूल मूल्यांकन एवं सुधार प्रक्रिया

3.5 स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड के बारे में

स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड प्रत्येक विद्यालय के प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों और मूल मानकों जिसमें सुधार हेतु उठाये गए कदम सम्मिलित हैं, की समेकित स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायक होता है। इसके तीन भाग हैं– i) विद्यार्थियों और अध्यापकों के बारे में अधारभूत जानकारियाँ (ii) विद्यालय मूल्यांकन की संयुक्त सारिणी जो सात प्रमुख क्षेत्रों और उनके मूल मानकों में विद्यालय निष्पादन की समग्र तस्वीर उपलब्ध

कराता है, और (iii) सतत् विद्यालय सुधार योजना हेतु कार्य योजना। डैशबोर्ड पर बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए भी प्रावधान होता है।

'स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड' एक विशेष वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। विद्यालय संवादात्मक (Interactive) वेब पोर्टल का प्रयोग करते हुए अपनी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट को जमा कर सकते हैं। बाह्य–मूल्यांकनकर्ताओं को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट देने के लिए उसी वेब पोर्टल का प्रयोग करना होता है। स्व–मूल्यांकन और बाह्य–मूल्यांकन को शामिल करते हुए वेब पोर्टल के द्वारा एक समेकित विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार हो जाती है।

'स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड' का उपयोग विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट और उनके आंकड़ों को देखने और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है जिसे विद्यालय को उपयुक्त सहायता देने के लिए ब्लाक, जिला और राज्य स्तर तक एकत्रित किया जा सकता है। यह विद्यालयों की अपनी उत्तरोत्तर प्रगति एवं सुधार की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। यह विद्यालयों को अपने सतत् सुधार हेतु उपयुक्त कार्यवाही के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है और अपने कार्यों के पुर्नमूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय समेकित आंकड़े सभी स्तरों पर नीतिपरक निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं।

3.6 राज्य विशिष्टता के अनुरूप अनुकूलन एवं संदर्भीकरण

राज्य विशिष्ट भाषाओं में अनूकूलन, संदर्भीकरण और अनुवाद के लिए विद्यालयी मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा में लचीलापन है। स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा राज्यों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और राज्य विशिष्ट नीति के अनुसार स्थानीय रूप से अनुकूलन को प्रोत्साहित करती है। स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा को लागू करने के पहले यह वांछनीय है कि विशेष भागों में उपयुक्त बदलावों के साथ संदर्भीकरण और अनुकूलन करने के लिए राज्य स्तर पर विचार–विमर्श आयोजित किया जाये। विवरणों को मूल मानकों के साथ राज्यों की भाषा में लिखना चाहिए।

तमिलनाडु के अनुभव

तमिलनाडु राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं एवं परामर्शी बैठकों में भाग लेने के पश्चात् राज्य स्तर पर विचार–विमर्श की पहल करने के लिए एक राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया। राज्य सरकार के साथ परामर्श से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, चेन्नई ने स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा के प्रारूप पर कई बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की। करीब 25 संसाधन व्यक्तियों ने जिनमें विशेषज्ञ, अध्यापक, शिक्षाविद् और विद्यालय प्रमुख शामिल थे, इन विचार–विमर्श बैठकों में भाग लिया। फलस्वरूप, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा को 40 विद्यालयों में प्रयोग में लाया गया। तमिलनाडु के प्रायोगिक अनुभवों ने स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूप रेखा के प्रारूप को सुधारने में सहायता प्रदान की है।

3.7 वेब पोर्टल

स्कूल मानक और मूल्यांकन को स्थायी बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक समर्पित और संवादात्मक (Interactive) वेब पोर्टल द्वारा संचालित हैं। वेब पोर्टल में कार्यक्रम संबंधी सभी दस्तावेज़ हैं जो सभी उपयोगकर्त्ताओं द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

वेब पोर्टल संवादात्मक मंच है जहाँ प्रत्येक विद्यालय अपनी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकता है। बाह्य मूल्यांकनकर्ता को भी मूल्यांकन रिपोर्ट देने के लिए इसी वेब पोर्टल का प्रयोग करना होता है। स्व तथा बाह्य विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर एक समेकित विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार की जाती है।

प्रत्येक विद्यालय का यू.डी.आई.एस.ई. (UDISE) कोड ही उसका लॉग इन आई डी है जिसके द्वारा वह अपना पासवर्ड बना सकता है। इसी प्रकार सभी ब्लॉक, जिला और राज्य अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं।

वेब पोर्टल की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक विद्यालय की मूल्यांकन रिपोर्ट अभिभावकों और आम नागरिकों को भी उपलब्ध होती है और वे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।

वेब पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित हितधारकों के द्वारा किया जा सकता है–

1. स्कूल

- यूडाईस कोड को लॉग–इन आईडी के रूप में प्रयोग करते हुए अपनी लॉग–इन आईडी बनाते हैं और अपना पासवर्ड बना सकते हैं।
- स्कूल सुधार के लिए स्व–मूल्यांकन आंकड़े और कार्य योजना को ऑनलाइन भरते हैं।
- स्व–मूल्यांकन आंकड़े भरने के पश्चात् विद्यालय की स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार होती है।

2. बाह्य मूल्यांकनकर्ता

- संबंधित विद्यालय के लिए लॉग–इन आईडी और पासवर्ड बना दिया जाता है।
- संबंधित विद्यालय की स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट देखना।
- बाह्य–मूल्यांकन आंकड़ें को भरना और बाह्य–मूल्यांकन रिपोर्ट को निकालना।

3. समेकित विद्यालयी मूल्यांकन रिपोर्ट

- स्व–मूल्यांकन और बाह्य–मूल्यांकन दोनों को शामिल करते हुए समेकित स्कूल मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना।

4. ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर

- ब्लॉक, जिला और राज्य राष्ट्रीय स्तर के लिए लॉग–इन आईडी और पासवर्ड बनाना।
- प्रत्येक विद्यालय की मूल्यांकन रिपोर्ट देखना, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रक्रिया और प्रगति की निगरानी।
- विद्यालय कार्य निष्पादन मूल्यांकन का सार तैयार करना और ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयामों में मूल मानकों के स्तर का विश्लेषण करना।

4.0 स्कूल मूल्यांकन के प्रति दृष्टिकोण

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा स्व–मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन दोनों के लिए एक योजनाबद्ध उपकरण है। स्व–मूल्यांकन को स्कूल मूल्यांकन प्रक्रिया की धुरी के रूप में जाना जाता है। यह विद्यालय के कर्मचारियों को विद्यालय के सम्पूर्ण कार्य निष्पादन के बारे में जानने और विकास के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु बनाया गया है। स्व–मूल्यांकन के पूरक के रूप में बाह्य–मूल्यांकन किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों में आपसी तालमेल है जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण मूल्यांकन संभव हो पाता है। इनका उद्देश्य विद्यालय के समग्र सुधार हेतु स्पष्ट रूपरेखा विकसित करना है।

	स्व–मूल्यांकन	बाह्य–मूल्यांकन
क्या	एक सतत् और चक्रीय प्रक्रिया जो विद्यालय की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी हुई है।	पूरक मूल्यांकन विद्यालय के कार्य निष्पादन की स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ तस्वीर विकसित करने के लिए स्व–मूल्यांकन की पूरक प्रक्रिया।
कौन	विद्यालय के सभी हित–धारक जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास प्रबंध समिति भी शामिल है, इसमें जुड़े होते हैं और सहयोग से कार्य करते हैं।	मूल्यांकनकर्ता विद्यालय से बाहर के होते हैं, परन्तु शिक्षा विभाग से ही होते हैं, जैसे– शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के मुख्य अध्यापक, अन्य लोक प्रशासक आदि।
कैसे	स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया में सभी हित धारकों को सजग और तैयार रखना, साक्ष्यों को एकत्रित करना और विश्लेषण करना, उत्तर सारिणी में निर्णय को रिकार्ड करना, विद्यालय मूल्यांकन डैशबोर्ड में समेकित रिपोर्ट तैयार करना शामिल होता है।	मूल्यांकनकर्ता विद्यालय के 'समालोचक मित्र' के रूप में कार्य करते हैं, स्व–मूल्यांकन दस्तावेजों का विश्लेषण और समीक्षा करते हैं, अध्यापकों, माता–पिता, बच्चों और अन्य हित–धारकों से अतिरिक्त जानकारी लेते हैं, कक्षा–कक्ष की व्यवस्था और विद्यालय की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करते हैं, विद्यालय को उद्देश्यपूर्ण फीडबैक देते हैं, निर्णय को रिकार्ड करते हैं और मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करते हैं, सुधार हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हैं।
कब	सत्र के दौरान किया जाता है। (जुलाई–जून) (स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड में भरी गई समेकित रिपोर्ट को सत्र के अन्त में जमा करने की आवश्यकता होती है।)	मध्य – सत्र में और सत्र की समाप्ति पर अभ्यास के रूप में यह एक वर्ष में दो बार नियोजित की जाती है। (राज्यों में अपने मापदण्ड के अनुसार बाह्य मूल्यांकन की आवृति के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।)

4.1 स्कूल मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश

स्व–मूल्यांकन दिशानिर्देश

- सजगता विकास
- साक्ष्यों को एकत्रित करना
  - हित–धारकों के विचारों को रिकार्ड करना
  - विद्यालय का निरीक्षण
  - कक्षा कक्ष का निरीक्षण
  - दस्तावेजों की समीक्षा
- विद्यालय कार्य निष्पादन के स्तर की पहचान करना और रिकार्ड करना।
- सुधार हेतु मज़बूत पक्षों और अवसरों की पहचान करना
- सतत् सुधार योजना हेतु कार्यवाई का परीक्षण करना।
- कार्यवाई हेतु विद्यालय विकास योजना के साथ सतत् सुधार योजना का एकीकरण

पूरक मूल्यांकन

बाह्य–मूल्यांकन दिशानिर्देश

- सजगता विकास
- साक्ष्यों को एकत्रित करना
  - हित–धारकों के विचारों को रिकार्ड करना
  - विद्यालय का निरीक्षण
  - कक्षा कक्ष का निरीक्षण
  - दस्तावेजों की समीक्षा
- विद्यालय की कार्य–प्रणाली के स्तर की पहचान करना और रिकार्ड करना।
- सुधार हेतु सशक्त पक्षों और अवसरों की पहचान करना
- सतत् सुधार योजना हेतु कार्यवाई का परीक्षण करना।
- कार्यवाई हेतु विद्यालय विकास योजना के साथ सतत् सुधार योजना का एकीकरण।

5.0 मूल्यांकन के बाद स्कूल सुधार के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना

स्कूल	ब्लॉक / जिला	राज्य
✠ डैशबोर्ड पर प्रत्येक मुख्य आयाम में निष्पादन के वर्तमान स्तर की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करना	✠ स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड पर डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को समेकित करना, मुख्य आयामों तथा मूल मानकों पर स्कूलों के व्यकितगत एवं सामूहिक निष्पादन विश्लेषण के लिए डेटाबेस तैयार करना	✠ स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड पर डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को समेकित करना, मुख्य आयामों तथा मूल मानकों पर स्कूलों के व्यकितगत एवं सामूहिक निष्पादन विश्लेषण के लिए डेटाबेस तैयार करना
✠ क्षमताओं तथा सुधार के अवसरों का पता लगाना	✠ प्रत्येक स्कूल को उसकी आवश्यकता के अनुरूप मदद करना एवं तैयार करना, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें उन्हें विभिन्न स्तरों पर मदद की आवश्यकता है।	✠ प्रत्येक स्कूल को उसकी आवश्यकता के अनुरूप मदद करना एवं तैयार करना, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें उन्हें विभिन्न स्तरों पर मदद की आवश्यकता है।
✠ सुधार के लिए कार्यवाही निश्चित करना एवं प्राथमिकता स्तर निर्धारित करना	✠ स्थानीय संसाधनों की मदद से उपयुक्त कार्य संसाधनों के वितरण, व्यावसायिक नियोजन एवं विकास के लिए पहल करना	✠ स्थानीय संसाधनों की मदद से उपयुक्त कार्य संसाधनों के वितरण, व्यावसायिक नियोजन एवं विकास के लिए पहल करना
✠ स्कूल की विकास योजना बनाना, क्रियान्वयन तथा समीक्षा प्रक्रिया के द्वारा कुछ अंतराल के बाद प्रगति जांचना		
✠ विभिन्न स्तरों पर (उप खण्ड / खण्ड / जिला) स्कूल की चिन्हित आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त कार्यवाही पर विचारविमर्श करना		

6.0 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रमः कार्य योजना

एन.पी.एस.एस.ई. विद्यालय मूल्यांकन के लिए एक समेकित और समग्र प्रयास है। इसका उद्देश्य आकार, संदर्भ और प्रबंधन के दृष्टिकोण से सभी प्रकार के विद्यालयों को सुनियोजित ढंग से अपने अन्तर्गत लाना है। एन.पी.एस.एस.ई. प्रभावी क्रियान्वयन सामग्री के विकास, मानव संसाधनों के महत्वपूर्ण वर्ग की कार्य क्षमता, सांस्थानिक सहयोग और व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एक व्यापक गतिविधि है जो एन.पी.एस.एस.ई. के प्रत्येक चरण के लिये आधार तैयार करती है।

6.1 क्रियात्मक संरचना

यह सर्वसम्मति से माना जाता है कि विशेषज्ञों, नीति–निर्माताओं और शिक्षाविदों का सहयोगपूर्ण प्रयास स्कूल मानक और मूल्यांकन को विकसित करने, क्रियान्वित करने और संस्थानों में लागू करने में सही दिशा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संरक्षण में संचालन कर रहा है। मार्गदर्शन एवं सहयोग का क्षेत्र बढ़ाने के लिए सम्पूर्ण देश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के सदस्यों से युक्त एक राष्ट्रीय तकनीकी समूह का गठन किया गया है।

इस कार्यक्रम को ठीक तरह से लागू करने के लिए एन.पी.एस.एस.ई. राज्यों की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करता है। इसने प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गुजरात (गुणोत्सव), उड़ीसा (समीक्षा), कर्नाटक (केएसक्यूएएसी) आदि राज्यों के द्वारा विद्यालय आकलन और निरीक्षण के लिए किए गए प्रयासों को आधार बनाया है। कई अन्य राज्यों ने भी विद्यालय कार्य निष्पादन का पता लगाने के लिए प्रयास शुरु कर दिया है। इस प्रकार, अधिकतर राज्यों में एन.पी.एस.एस.ई. में संदर्भ के अनुरूप अनुकूलन करने के लिए पर्याप्त क्षमता और संसाधन हैं।

राज्यों के साथ सहयोग के लिए एन.पी.एस.एस.ई. के एक अंग के रूप में राज्य स्तरीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य तकनीकी समूह का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन की इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। यह विचार किया गया है कि प्रत्येक राज्य में स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई (यूएसएसई) राज्य तकनीकी समूह (एसटीजी) के साथ घनिष्ठ सहयोग से विद्यालय मूल्यांकन के लिए संदर्भ विशिष्ट रूपरेखा के विकास में लगे रहेंगे। विद्यालय मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रशिक्षण नियमावली और मानव संसाधनों के महत्वपूर्ण समूह की क्षमताओं के विकास के लिए दिशा–निर्देश तैयार करेंगे। विद्यालय मूल्यांकन का राज्य विशिष्ट प्रतिमान विकसित करने के लिए राज्य संस्थानों, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों की पहचान करेंगे जो पारस्परिक तालमेल के आधार पर कार्य सम्पन्न करेंगे।

कार्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित बिंदु समाहित हैं–

सामग्री का विकास

निम्नलिखित दस्तावेजों को एनपीएसएसई कार्यक्रम के एक भाग (हिस्से) के रूप में विकसित किया गया है:

1. राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (एनपीएसएसई) : कार्यक्रम दस्तावेज
2. स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा (एसएसईएफ)
3. स्कूल मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश
4. स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड एवं वेब पोर्टल

क्षमता–विकास

कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य, खण्ड, जिला और विद्यालय स्तरों पर नियमित रूप से बैठकों, प्रशिक्षण–कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, आदि के आयोजन के द्वारा क्षमता विकास किया जाये। क्षमता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा को समझने तथा व्यवस्थित और मानकीकृत तरीके से विद्यालय का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कौशल विकसित करना है।

संस्थागत व्यवस्था

एनपीएसएसई का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और विद्यालय स्तर पर व्यवस्था विकसित करके विद्यालय मूल्यांकन प्रक्रिया को स्थायी बनाने हेतु उपयुक्त मशीनरी का गठन करना है। यह स्कूल मानक और मूल्यांकन रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर पर राजकीय संस्थानों और व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ सच्ची भावना से सहयोग करेगा।

अनुसंधान

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई (SSEU), स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा (SSEF) की प्रभाविकता (वैधता एवं विश्वसनीयता) को जानने के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जायेगी। यह स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा में नियमित रूप से सुधार और उन्नति के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय मूल्यांकन प्रथाओं पर भी शोधकार्य आयोजित करेगी।

वेब पोर्टल एंव मोबाइल एप्लीकेशन

विद्यालय के साथ–साथ सभी हितधारकों को विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट और सुधार प्रक्रिया के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन (NPSSE) क्रियात्मक योजना का एक आवश्यक अंग है।

एन.पी.एस.एस.ई. की अवधारणात्मक और क्रियात्मक योजना

7.0 एन.पी.एस.एस.ई.: रोड मैप

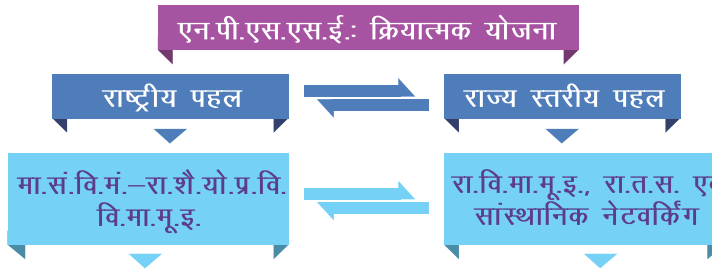

गतिविधि	राष्ट्रीय	राज्य
2014 के लिए एनपीएसएसई की गतिविधियाँ		
अनुसंधान एवं विकास		
1. विद्यालय मूल्यांकन, आकलन एवं मान्यता पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं का विश्लेषण	■	
2. विभिन्न मंचों पर विद्यालय मूल्यांकन की विचारात्मक रूपरेखा से संबंधित कार्यशालाएँ	■	
3. राष्ट्रीय तकनीकी समूह के साथ विचार विमर्श	■	■
4. एनपीएसएसई का विकासः कार्यक्रम दस्तावेज़	■	■
5. एनपीएसएसई के विकास पर दो राष्ट्रीय सलाहकारी बैठकें और दस विशेषज्ञों के छोटे समूह की कार्यशालाएँ	■	■
6. एसएसईएफ का विकास	■	■
सांस्थानिक/संस्थागत व्यवस्थाएँ		
1. न्यूपा में एसएसई की इकाई स्थापित करना	■	
2. 'राष्ट्रीय तकनीकी समूह' का गठन करना	■	■
3. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधनों के लिए अनुमोदन (शुरु किया जाना है।)	■	■

गतिविधि	राष्ट्रीय	राज्य
2015 के लिए एनपीएसएसई की गतिविधियाँ		
अनुसंधान विकास एवं प्रकाशन		
1. एसएसईएफ को अंतिम रूप देना और चयनित राज्यों एवं विद्यालयों में संचालित करना		
2. स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड को अंतिम रूप देना		
3. राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम को अंतिम रूप देना: कार्यक्रम दस्तावेज		
4. विद्यालय मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देशों का विकास करना		
5. विद्यालय स्व–मूल्यांकन दिशानिर्देशों का विकास करना		
6. एनपीएसएसई पुस्तिका, एसएसईएफ, कार्यक्रम दस्तावेज एवं स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड का प्रकाशन		
7. एनपीएसएसई के बारे में समर्पित वेब पोर्टल		
8. बाह्य मूल्यांकन के बारे में मार्गदर्शिका का विकास करना		
9. संबंधित राज्यों के द्वारा एसएसईएफ का संदर्भीकरण एवं अनुवाद		
10. प्रशिक्षण पुस्तिका का विकास करना		
11. सभी दस्तावेजों का हिन्दी भाषा में अनुवाद करना		
सांस्थानिक व्यवस्था एवं मानव संसाधन समूह को सहभागी बनाना		
1. 'राज्य तकनीकी समूह' का गठन		
2. विशेषज्ञों और अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग		
3. न्यूपा एवं यूएसएसई में मानव संसाधन को संबद्ध करना		

गतिविधि	राष्ट्रीय	राज्य
क्षमता–विकास		
1. विद्यालय मूल्यांकन के बारे में दिशानिर्देश एंव मार्गदर्शिका के विकास के लिए विशेषज्ञों की पाँच कार्यशालाएँ आयोजित करना		
2. विद्यालय मूल्यांकन की मार्गदर्शिका की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की पाँच कार्यशालाएँ आयोजित करना		
3. संदर्भीकरण, अनुकूलन एवं अनुवाद पर राष्ट्रीय सलाहकारी बैठक		
4. विद्यालय मूल्यांकन एवं क्षमता विकास योजनाओं के उपागमों पर राष्ट्रीय सलाहकारी बैठक		
5. जिला एवं खंड स्तर पर विद्यालय शिक्षा अधिकारियों का क्षमता विकास		
6. विद्यालय प्रमुखों का क्षमता विकास		
7. विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन को सशक्त करने के लिए विद्यालय आधारित सहयोग का संस्थानीकरण		
2016 के लिए एनपीएसएसई की गतिविधियाँ		
अनुसंधान, विकास एवं प्रकाशन		
1. विद्यालय मूल्यांकन की मार्गदर्शिका एवं प्रशिक्षण–पुस्तिका का प्रकाशन		
2. एसएसईएफ के प्रभावपूर्ण उपयोग का अध्ययन एवं विद्यालयी मूल्यांकन के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएँ		
3. एसएसईएफ के सुधार, साक्ष्य आधारित अनुसंधानों पर दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका		
4. विद्यालय के सुधार के लिए विद्यालय मूल्यांकन पर सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण एवं प्रकाशन		
5. एशियन क्षेत्र में विद्यालय मूल्यांकन प्रथाएँ– प्रथाओं पर विचार विमर्श (एक पुस्तक का प्रकाशन)		

गतिविधि	राष्ट्रीय	राज्य
अनुसंधान एवं विकास		
1. विद्यालय मूल्यांकन के संस्थानीकरण एवं विद्यालय सुधार योजना के लिए कार्यवाई के बारे में राज्य विशिष्ट अनुभवों पर राष्ट्रीय सलाहकारी बैठक		
2. विद्यालय सुधार की दिशा में विद्यालय मूल्यांकन प्रथाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन		
3. जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय प्रमुखों एवं डाईट के विशेषज्ञों के द्वारा विद्यालयों में क्षमता विकास		
4. विद्यालयों में जिला एवं खंड स्तर पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन		
5. राज्य स्तर पर कार्यशालाओं का आदान–प्रदान करना।		